हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 5

मंगलवार, 6 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

"इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी मन्त्रीगण व सदस्यों का, विशेष कर सदन के नेता श्री जय राज ठाकुर जी व काँग्रेस विधायक दल के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी व पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं आपसे यह अपेक्षा भी करूंगा कि आप भी नियमों की परिधि में रह कर चर्चाओं को सार्थक बनायें। सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह अपेक्षा भी रहेगी कि इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा।"

(राष्ट्रीय गान गाया गया)

1. **शोकोद्‌गारः**

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री रामा नंद ठाकुर व श्री आत्मा राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता

3. श्री विपिन सिंह परमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री
4. श्री राकेश सिंघा
5. श्री महेन्द्र सिंह, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री
6. श्री राकेश पठानिया
7. श्री रविन्द्र कुमार
8. श्री किशन कपूर, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री
9. डॉ0 राजीव सैजल, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
10. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री
11. डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष महोदय

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया)।

2. <u>प्रश्नोत्तरः</u>

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

<u>12.00 PM</u>

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री मुकेश अग्न्हिोत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, आज आप सदन में आए और आपने कहा कि नियमों की परिधि में काम होगा। हमने नियमों की परिधि के तहत नियम-67 में स्थगन प्रस्ताव दिया। आपने कहा कि चर्चा होगी और आपको समय दिया जाएगा। यह प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आने से विवाद शुरू हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बयान आया है, उससे यह स्थिति पैदा हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर अविलम्ब चर्चा हो। यह भू-सुधार कानून की धारा को समाप्त करने का विषय है। यह हिमाचल प्रदेश की मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ है।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

मुझे माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से आज प्रातः 09:40 बजे नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जोकि श्री राम लाल ठाकुर व श्री जगत सिंह नेगी माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है तथा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में भू-सुधार कानून की धारा-118 हटाने बारे, माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान से संबंधित है। इसके संबंध में 'संसदीय पद्वति और प्रक्रिया, कॉल एण्ड शकधर','स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता','सामान्यता किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय सरकार के व्यवहार अथवा किसी चूक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए और उसमें सरकार के किसी कार्य की आलोचना उपलक्षित होनी चाहिए अर्थात या तो उसने ऐसा कोई कार्य किया जिसकी आलोचना की जानी चाहिए या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जोकि उस समय उसके द्वारा किया जाना बहुत आवश्यक था। कोई स्थगन प्रस्ताव तभी ग्राह्य हो सकता है जब सरकार संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रही हो।' क्योंकि सरकार द्वारा धारा-118 के अन्दर कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय नहीं किया गया, इसलिए यह नियम-67 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्यो ने 12:25 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया)

3. <u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने मंगलवार, 6 मार्च, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. <u>कागज़ात सभा पटल परः</u>

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए 3(43)99 दिनांक 16.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.08.2017 को प्रकाशित; और

(ii) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 36 के खण्ड(ख) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपर (एपी.बी)(ए)(3)-4/2015 दिनांक 28.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.10.2017 को प्रकाशित ।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (हि0 प्र0 राज्य कैम्पा) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक पौधारोपण वित्त प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (हि0 प्र0 राज्य कैम्पा) का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2010-11(विलम्ब के कारणों सहित)।

5. <u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2017- 2018 का प्रस्तुतीकरणः-</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त सदन में प्रस्तुत की।

सदन की बैठक अपराह्न 12:40 बजे मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।